



# जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया Jananayak Chandrashekhar University, Ballia

पत्रांक-जे0एन0सी0यू0 / सा0प्र0 / 8594 / 2025

दिनांक: 05 अगस्त, 2025

शीर्ष प्राथमिकता / समयबद्ध

सेवा में,

03. निदेशक शैक्षणिक,  
विश्वविद्यालय परिसर।

04. प्राचार्य / प्राचार्या / प्रबन्धक  
सम्बद्ध समस्त महाविद्यालय,  
जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय,  
बलिया।

विषय:-साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धि/योगदान करने वाले पात्र/योग्य महानुभावों को पद्म विभूषण, पद्म भूषण तथा पद्मश्री की उपाधियों के प्रस्ताव हेतु निर्धारित प्रारूप पर सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या: 15/1/1/2025-सी0एक्स0(1), (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धि/योगदान करने वाले पात्र/योग्य महानुभावों को पद्म विभूषण, पद्म भूषण तथा पद्मश्री की उपाधियों के प्रस्ताव हेतु निर्धारित प्रारूप पर दिनांक: 07 अगस्त, 2025 तक सूचना उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

तत्क्रम में माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उपरोक्त पत्र में वर्णित तथ्यों के अनुपालन में साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धि/योगदान करने वाले पात्र/योग्य महानुभावों का प्रस्ताव संलग्न प्रारूप पर दिनांक: 07 अगस्त, 2025 तक प्रत्येक दशा में विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे तदनुक्रम में अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(एस0एल0 पाल)  
कुलसचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:-

1. माननीय कुलपति जी।
2. प्रभारी वेबसाइट को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने तथा कालेज लागिन में सम्प्रेषण हेतु।
3. सम्बन्धित पत्रावली।

कुलसचिव

एस0 पी0 गोयल  
मुख्य सचिव



महत्वपूर्ण/समयबद्ध  
अर्द्धशा0पत्र संख्या-15/1/1/2025सी0एक्स(1)  
उत्तर प्रदेश शासन  
गोपन अनुभाग-1  
लखनऊ दिनांक 04 अगस्त, 2025

प्रिय महोदय,

कृपया आगामी गणतन्त्र दिवस 26 जनवरी, 2026 को पद्म विभूषण, पद्म-भूषण तथा पद्म श्री उपाधियां भारत सरकार द्वारा दिये जाने हेतु राज्य सरकार की संस्तुति भारत सरकार को प्रेषित किए जाने के सम्बन्ध में पात्र/योग्य महानुभावों के नाम उपलब्ध कराए जाने विषयक आपको सम्बोधित अधोहस्ताक्षरी के समसंख्यक अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 04 अप्रैल, 2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. चूंकि पात्र/योग्य महानुभावों के नाम उपलब्ध कराए जाने की तिथि भारत सरकार द्वारा दिनांक 15 अगस्त, 2025 तक बढ़ा दी गयी है, अतः कृपया साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धि/योगदान करने वाले पात्र/योग्य महानुभावों के नाम प्रस्तावित करते हुए उनकी योगदान/उपलब्धियों के विवरण सहित 03 दिन के भीतर (दिनांक 07 अगस्त, 2025 तक) अनिवार्य रूप से गोपन अनुभाग-1 अथवा ईमेल आई. डी. csup@ nic.in पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

सादर

भवदीय,

(एस0 पी0 गोयल)

4/8/25

श्री एम0पी0 अग्रवाल  
प्रमुख सचिव,  
उच्च शिक्षा विभाग।

**संख्या-09 मु0स0/सत्तर-3-2025-1921691****प्रेषक,****एस0पी0 मिश्र,  
उप सचिव,  
उ0प्र0 शासन।****सेवा में,**

- 1. निदेशक,  
उच्च शिक्षा,  
उ0प्र0, प्रयागराज।**
- 2. कुलसचिव,  
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,  
उ0प्र0।**

**उच्च शिक्षा अनुभाग-3****लखनऊ: दिनांक : 24 अप्रैल, 2025****विषय: पद्म विभूषण, पद्म भूषण तथा पद्म श्री की उपाधियों के प्रस्ताव हेतु निर्धारित प्रारूप पर सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।****महोदय,**

उपर्युक्त विषयक मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-15/1/1/2025-सी0एक्स0 (1), दिनांक 04.04.2025 की छायाप्रति संलग्नक सहित प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में की गयी अपेक्षानुसार संलग्न प्रारूप पर सूचना शासन को समयान्तर्गत उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

**संलग्नक:यथोक्त।****भवदीय,**


Signed by Surya Prakash  
Mishra  
(एस0पी0 मिश्र)  
25 18:27:58  
उप सचिव।

मनोज कुमार सिंह

मुख्य सचिव

Manoj Kumar Singh

Chief Secretary



उत्तर प्रदेश शासन

लोक भवन, लखनऊ - 226001

Government of Uttar Pradesh

Lok Bhawan, Lucknow-226001

गोपन अनुभाग-1

लखनऊ दिनांक: 04 अप्रैल, 2025

संख्या 114/VIPPSHED/2025

प्रिय महोदय/महोदया,

विगत वर्षों की भाँति आगामी गणतन्त्र दिवस 26 जनवरी, 2026 को पद्म विभूषण, पद्म-भूषण तथा पद्म श्री की उपाधियाँ भारत सरकार द्वारा दी जानी हैं। आगामी वर्ष 2026 हेतु भी भारत सरकार द्वारा उक्त उपाधियों के लिए ऑनलाइन आवेदन किये जाने की व्यवस्था की गयी है। सम्बन्धित महानुभाव/महानुभावों के बारे में संस्तुतियों राज्य सरकार द्वारा निर्धारित समयावधि में ऑनलाइन भारत सरकार को भेजी जानी प्रस्तावित है। उल्लेखनीय है कि संलग्न प्रपत्र के संलग्नक में अंकित विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट एवं उत्कृष्ट उपलब्धि, योगदान एवं सेवा के लिये प्रश्नगत संस्तुतियाँ अपेक्षित हैं।

2- अतः अनुरोध है कि यदि आप उक्त उपाधियों के लिये किन्हीं महानुभाव/महानुभावों का नाम प्रस्तावित करना चाहें तो कृपया उनके व्यक्तित्व व कृतित्व के सम्बन्ध में "साइटेशन" (दो प्रतियों में) संलग्न प्रपत्र में वांछित सूचना के साथ विलम्बतम दिनांक 20 जून, 2025 तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

(मनोज कुमार सिंह)

शासन के समस्त अपर मुख्य सचिव/  
प्रमुख सचिव/सचिव (नाम से)

(शिपू मिरा)  
विशेष सचिव,  
उच्च शिक्षा विभाग  
उ0प्र0 शासन।

11.04.2025

## PROFORMA

Mr./Mrs		
First Name	Middle Name	Last Name
(kindly don't use prefix like Dr., Prof., sh., smt. etc)		
Father Name		
Date of Birth (DD/MM/YYYY) :		
Gender :		
Religion :		
Category :		
Nominee Mobile Number:		
Aadhaar No.		
E mail-ID:		
Nationality:		
Country:		
State/UT:		
District:		
Address:		
Brief Write-up/Citation on the work done by the person being nominated Note:-Maximum 800 Words (5000 Characters) are allowed		

Significant contribution of the person being nominated. note:-Maximum 500 Words (3000 Characters) are allowed		
Number of years working in the field		
Impact/Outcome of the work done by the person being nominated note:-Maximum 400 Words (2500 Characters) are allowed.		
Details of Awards or Honors Received by the nominee		
Whether Nominee received Padma Awards Earlier	No	Yes
Other Awards Received		
Award Name		

Year of Award			
Field			
Level of Award	State Award	National Award	International Award
Awarding Body			

Any Other Relevant Information

note:-Maximum 300 Words (2000 Characters) are allowed

1. Photograph of the Nominee :

2. Any Supporting Document

**Declaration**

It is certified that I have filled all information correctly

SIGNATURE:

NAME:

## Eligibility

Any person without distinction of race, occupation, position or sex is eligible for these Awards. However, serving Government servants, including those working with PSUs, except Doctors and Scientists, are not eligible for these Awards.

The Award seeks to recognize works of distinction and is given for distinguished and exceptional achievements/service in all fields of activities/disciplines. An illustrative list of the fields is as under:

**Art** - Includes Music, Painting, Sculpture, Photography, Cinema, Theatre, etc.

**Social Work** - Includes social and charitable services in the areas of affordable healthcare and education, other contributions to community projects like Environment, Sanitation, etc.

**Public Affairs**- Includes work in the area of Law, Public Life, Politics, etc.

**Science & Engineering** - Includes Space Engineering, Nuclear Science, Information Technology, Research & Development in Science & its allied subjects, etc.

**Trade & Industry** - Includes banking, economic activities, management, trading and business in the areas of manufacturing, hospitality, technology, textiles, accounting, finance, tourism, etc.

**Medicine** - Includes medical research and distinction/specialization in Allopathy, Ayurveda, Homeopathy, Siddha, Naturopathy, etc.

**Literature & Education** - Includes promotion of literacy and education, education reforms, teaching, journalism, literature & poetry, authors, etc.

**Civil Service** - Includes distinction/excellence in administration etc. by Government Servants

**Sports** - Includes Sports, Athletics, Mountaineering, promotion of sports, etc.

**Others** - Includes fields that are not covered in the above-mentioned fields. This may include Spirituality, Yoga, Wild Life protection/conservation, Culinary, Agriculture, Grassroot Innovations, Archaeology, Architecture, etc.

### Posthumous Cases

The Award is not conferred posthumously. However, in highly deserving and rare cases, the Government could consider giving an Award posthumously.

### Eligibility for a Higher Category of Padma Award

A higher category of Padma Award can be conferred on a person only where a period of at least five years has elapsed since conferment of the earlier Padma Award. However, an exception can be made by the Awards Committee in cases of rare and most exceptional achievements.